उत्तर प्रदेश शासन
प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-2074/2003-16-1-78/91 टी.सी.-1
लखनऊ : दिनांक: 20 जून, 2003
कार्यालय-आदेश

माननीय उच्चतम न्यायालय की 11 सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा रिट पिटीशन संख्या-317 सन् 1993 टी०एम०ए० पाई फाउन्डेशन एवं अन्य बनाम स्टेट आफ कर्नाटक एवं अन्य में दिनांकः 31.10.2002 को पारित निर्णय में जे०पी० उन्नीकृष्णन बनाम आन्ध्र प्रदेश सरकार के केस में अभियन्त्रण शिक्षण संस्थाओं के सम्बन्ध में दी स्कीम तथा निःशुल्क तथा सशुल्क सीट की गई व्यवस्था को अधिक्रमित (ओवररूल) करते हुए अभियन्त्रण शिक्षण संस्थाओं के प्रबन्धन, प्रवेश तथा शुल्क आदि के बारे में अनेक निर्देश दिये गये है। माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय की पृष्ठभूमि में भारत सरकार की अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा भी अपने नोटीफिकेशन संख्या. 37-3-लीगल(V)/2003 दिनांक 10.03.2003 के माध्यम से अभियन्त्रण शिक्षण संस्थाओं में पूर्व से लागू प्राविधानों को अधिक्रमित करते हुए शिक्षण सत्र 2003-2004 के लिये अन्तरिम दिशा निर्देश जारी किये गये है।

उक्त पृष्ठभूमि में सम्पर्क विचारोपरान्त इस सम्बन्ध में पूर्व से जारी किये गये समस्त शासनादेशों को अधिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल निम्न निर्देश जारी किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1. राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्यरत प्रदेश के सभी पॉचों स्वायत्तशासी अनुदानित इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश हेतु निःशुल्क एवं सशुल्क सीटों की व्यवस्था शिक्षण सत्र 2003-2004 से समाप्त की जाती है।
2. पॉचों स्वायत्तशासी अनुदानित इंजीनियरिंग कालेज यथा आई०ई०टी० लखनऊ, एच०बी०टी०आई० कानपुर, के०एन०आई०टी० सुल्लतानपुर, बी०आई०ई०टी० झॉसी, एम०एम०एम०ई०सी०, गोरखपुर तथा दोनों शासकीय इंजीनियरिंग कालेज यथा राजकीय केन्द्रीय वस्त्र संस्थान, कानपुर एवं राजकीय वास्तुकला महाविद्यालय, लखनऊ में एन०आर०आई० कोटे की 5 प्रतिशत सीटों को छोडते हुए शिक्षण सत्र 2003-2004 से निम्न प्रकार शुल्क निर्धारित किया जाता है।

बी० टेक०/बी० आर्क०/ बी०फार्मा० आदि समस्त स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम	:	रू० 25,000/- (रू० पच्चीस हजार प्रतिछात्र प्रतिवर्ष)
समस्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	:	रू० 17, 000/- (रू० सत्रह हजार प्रतिछात्र प्रतिवर्ष)

एन०आर०आई० कोटे की अधिकतम 5 प्रतिशत सीटों पर अधिकतम शुल्क यू०एस० डालर 5000 (पॉच हजार) प्रतिछात्र प्रतिवर्ष होगी।

उक्त के अतिरिक्त छात्रों से प्रवेश के समय एक बार रू० 2500/- (रू० ढाई हजार) की धनराशि प्रतिभूमि के रूप में ली जायेगी जो पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष के समाप्त होती ही सम्बन्धित छात्र को नियमानुसार वापस कर दी जायेगी।

उक्त शुल्क में छात्रावास शुल्क तथा परीक्षा शुल्क सम्मिलित नहीं है। छात्रावास शुल्क उक्त सातों इंजीनियरिंग कालेजों द्वारा स्वयं निर्धारित की जायेगी। परीक्षा शुल्क उ०प्र० प्राविधिक

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जायेगी।

3. एच०बी०टी०आई०, कानपुर के वायोकेमिकल इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलाजी, आयल टेक्नालाजी, पेन्ट टेक्नालाजी, प्लास्टिक टेक्नालाजी, लेवर टेक्नालाजी पाठ्यक्रमों को छोडकर उपरोक्त पॉचों राजकीय अनुदानित स्वायत्तशासी इंजीनियरिंग कालेजों एवं दोनों राजकीय इंजीनियरिंग कालेजों में एन०आर०आई० कोटे की 5 प्रतिशत सीटों के अतिरिक्त सभी सीटों पर केवल उत्तर प्रदेश के छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। यदि एन०आर०आई० कोटे की सीटे खाली रहती है तो उन पर भी उत्तर प्रदेश के छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। यदि किसी कारण से प्रवेश के छात्रों से पूरी सीटें नही भरी जा सकेंगी तो उस सीमा तक प्रदेश के बाहर के छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।
4. एच०बी०टी०आई०, कानपुर में उपरोक्त प्रस्तर-3 में उल्लिखित पाठ्यक्रमों में अधिकतम 15 प्रतिशत की सीमा तक प्रदेश के बाहर के छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। एन०बी०टी०आई०, कानपुर में उक्त पाठ्यक्रमों में 15 प्रतिशत प्रदेश के बाहर के छात्रों एवं 3 प्रतिशत एन.आर.आई. सीटों को छोडकर शेष सीटों पर उत्तर प्रदेश के छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। यदि किसी कारण से इन शेष सीटों पर उत्तर प्रदेश के छात्र उपलब्ध नहीं होते हैं तभी उन्हें अन्य प्रदेश के छात्रों से भरा जायेगा।
5. उपरोक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित शुल्क उन छात्रों से लिया जायेगा जो शिक्षण सत्र 2003-2004 में प्रवेश लेगें। 2003-2004 शिक्षण सत्र से पूर्व के छात्रों पर पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी अर्थात जिन छात्रों ने शिक्षण सत्र 2002-2003 में या उससे पूर्व प्रवेश लिया था उन पर पुरानी निःशुल्क/ शुल्क व्यवस्था जैसी भी हो आगे भी लागू रहेगी। पिछले शिक्षण सत्र मे प्रवेश लेने वाले ऐसे छात्र जो या तो फेल हो गये है। या किसी अन्य कारण से परीक्षा नहीं दे सके हैं और पुनः सत्र 2003-2004 में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेते है, उन पर नयी शुल्क व्यवस्था लागू होगी।
6. शैक्षिक सत्र 2003-04 के लिए दोनों राजकीय एवं पॉचों राज्य नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी इंजीनियरिंग कालेजों में यूपीसीटें सेल के माध्यम से उपरिलिखित प्रतिबन्धों के साथ शासन की आरक्षण नीति का पालन करते हुए केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से छात्रों का प्रवेश किया जायेगा

प्रभात चन्द्र चतुर्वेदी
प्रमुख सचिव

संख्या : 2074/2009 तद् दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. पमुख सचिव श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
3. निजी सचिव, मा० प्राविधिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश।

4. स्टाफ आफीसर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
5. कुलपति, प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
6. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
7. प्रमुख सचिव, न्याय, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
8. संयुक्त सचिव (तकनीकी शिक्षा) मानव संसाधन विकास मंत्रालया, भारत सरकार, नई दिल्ली।
9. निदेशक / प्राचार्य राजकीय केन्द्रीय वस्त्र संस्थान, कानपुर, राजकीय वास्तुकला महाविद्यालय, लखनऊ, आई०ई०टी०, लखनऊ, एच०बी०टी०आई०, कानपुर, के०एन०आई०टी०, सुल्लतानपुर, बी०आई०ई०टी०, झॉसी, एम०एम०एम०ई०सी०, गोरखपुर।
10. सचिव, ए०आई०सी०टी०ई०, नई दिल्ली।
11. सचिव, एन०आन०सी० (ए०आई०सी०टी०ई०) कानपुर।
12. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा कानपुर।
13. सचिव, यूपीसीट सेल, लखनऊ।

आज्ञा से

(ए0के0 सिंह राठौर)
विशेष सचिव